उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा (उ0प्र0)–206130

संयुक्त पैरामेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा (CPPNET-2020) की प्रथम काउंसिलिंग एवं प्रवेश सम्बन्धी सूचना

विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग संकाय में संचालित विभिन्न डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2020–21 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार सम्पन्न की जायेगी–

काउंसिलिंग स्थल : विश्वविद्यालय आडिटोरियम (सभागार)

क्र. सं.	आमंत्रित अभ्यर्थी	पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन (प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक)	काउंसिलिंग एवं प्रवेश (02.00 बजे से प्रारम्भ)
1.	**ओवर–आल रैंक 01 से 100 तक के सभी श्रेणी के पंजीकृत अभ्यर्थी।**	**15–01–2021 (शुक्रवार)**	**15–01–2021 (शुक्रवार)**
2.	**ओवर–आल रैंक 101 से 300 तक के सभी श्रेणी के पंजीकृत अभ्यर्थी।**	**16–01–2021 (शनिवार)**	**16–01–2021 (शनिवार)**
3.	**ओवर–आल रैंक 301 से 600 तक के सभी श्रेणी के पंजीकृत अभ्यर्थी।**	**17–01–2021 (रविवार)**	**17–01–2021 (रविवार)**
4.	**ओवर–आल रैंक 601 से 1200 तक के सभी श्रेणी के पंजीकृत अभ्यर्थी।**	**18–01–2021 (सोमवार)**	**18–01–2021 (सोमवार)**
5.	• **केवल उपश्रेणी (EWS, PH, FF एवं EA) के ओवर–आल रैंक 1201 से अन्तिम पात्र रैंक तक के पंजीकृत अभ्यर्थी ।** • **ST श्रेणी के ओवर–आल रैंक 1201 से अन्तिम पात्र रैंक तक के पंजीकृत अभ्यर्थी।**	**19–01–2021 (मंगलवार)**	**19–01–2021 (मंगलवार)**

ST–अनुसूचित जनजाति, **EWS**–आर्थिक रूप से कमजोर, **PH**–दिव्यांग, **FF**–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, **EA**–भूतपूर्व सैनिक के पुत्र या पुत्री)

अतिमहत्वपूर्ण निर्देश

1. काउंसिलिंग हेतु अलग से कोई सूचना (कॉल लेटर) डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी।
2. उपरोक्त दर्शायी गयी तिथियों के अनुसार मात्र पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
3. पंजीकृत अभ्यर्थियो को मेरिट रैंक के क्रम में बुलाया जायेगा तथा अभ्यर्थी की मेरिट रैंक पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से उसके द्वारा चुनी गयी उपलब्ध पाठ्यक्रम की उक्त सीट पर ही आवंटन किया जायेगा।
4. पंजीकरण होने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उसको प्रवेश दिया जा रहा है। अभ्यर्थी की मेरिट रैंक पर उसकी अर्हतानुसार सीट उपलब्ध न होने की दशा में उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. आमंत्रित अभ्यर्थी प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक पंजीकृत अभ्यिर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जाँच करायेंगे तत्पश्चात् अर्ह पाये जाने पर उसी दिन 02.00 बजे से काउंसिलिंग करायेंगे तथा सीट आवंटित होने पर प्रवेश प्राप्त करेंगे। अभ्यर्थियों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि प्रत्येक स्थिति में अपने प्रमाण–पत्रों का सत्यापन समय–सीमा के अन्दर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें जिससे वह काउंसिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकें।
6. अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु अपने समस्त प्रमाण पत्रों को मूल रूप में लाना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।
7. सिक्योरिटी डिपोजिट रु0 5000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवा कर लाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।

काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों के लिये सामान्य निर्देश

काउंसिलिंग हेतु (सिक्योरिटी) शुल्कः

- ❖ काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 5,000/—(रू0 पाँच हजार मात्र) का डी0डी0 (ड्राफ्ट) निर्धारित किया गया है जो कि in favour of **"Finance Officer Paramedical A/c UPUMS"** Payable at **Saifai** के नाम देय होगा। अतः अभ्यर्थी को सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 5,000/— का डी0डी0 (ड्राफ्ट) बनवाकर अपने साथ लाना होगा।
- ❖ अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेने की दशा में यह सिक्योरिटी डिपोजिट उसके काशनमनी के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।
- ❖ जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश नहीं लिया जायेगा उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त कर ली जायेगी।
- ❖ यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सीट आवंटित नहीं होती है, उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपोजिट का डी0डी0 (ड्राफ्ट) अभ्यर्थी को मूल रूप में वापिस कर दिया जायेगा।

सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 5000/— का डिमाण्ड ड्राफ्ट लाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं करने दिया जायेगा।

काउंसिलिंग प्रक्रियाः

(क). काउंसिलिंग संबंधी तिथियां, समय तथा स्थान व अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर तथा यथासंभव समाचार पत्रों पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को इस हेतु अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी। काउंसिलिंग का कार्य कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

- ❖ सभी पाठ्यक्रमों का आवंटन मेरिट के आधार पर ऑनलाईन पंजीयन के उपरान्त काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा।
- ❖ **प्रथम चक्र की काउंसिलिंग—** पैरामेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग महाविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों हेतु काउंसिलिंग की जायेगी जिस हेतु ऑनलाईन पंजीकृत अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर आमंत्रित किया जायेगा।
- ❖ **काउंसिलिंग के द्वारा आवंटित सीट पर निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त न करने पर आवंटित सीट स्वतः ही रिक्त मानी जायेगी तथा ऐसे अभ्यर्थी दोबारा किसी भी काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे।**

(ख). काउंसिलिंग फीसः

- ❖ काउंसलिंग हेतु शुल्क रू0 500/— (ऑनलाईन) तथा सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 5,000/— (डी0डी0/ ड्राफ्ट के रूप में) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा आवंटन प्राप्त करने एवं प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर लेने की दशा में यह सिक्योरिटी डिपोजिट उसके काशनमनी के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।
- ❖ जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश नहीं लिया जायेगा उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपोजिट जब्त कर ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी को काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सीट आवंटित नहीं होती है, उस दशा में उक्त सिक्योरिटी डिपोजिट का डी0डी0 (ड्राफ्ट) अभ्यर्थी को मूल रूप में वापिस कर दिया जायेगा। काउंसिलिंग शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं होगा।
- ❖ सिक्योरिटी डिपोजिट रू0 5,000/— का डी0डी0 (ड्राफ्ट) in favour of **"Finance Officer Paramedical A/c UPUMS"** Payable at **Saifai** के नाम देय होगा।

(ग). मेरिट सूची में आये अभ्यर्थियों को स्वयं निम्नवत् प्रलेखों की मूल एवं एक–एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित काउंसिलिंग हेतु नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा।

1.	सी.पी.पी.एन.ई.टी.–2020 का प्रवेश–पत्र मूल रूप में।
2.	काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन स्लिप।
3.	परीक्षाफल / मेरिट रैंक की प्रति।
4.	आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
5.	हाईस्कूल या समकक्ष का मूल प्रमाण–पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)।
6.	अर्हता परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र तथा अंकतालिका।
7.	आनलाईन आवेदन के समय अपलोड फोटोग्राफ की दो प्रतियाँ।
8.	उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)।
9.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)। OBC वर्ग के छात्र / छात्राओं का जाति प्रमाण–पत्र 01 अप्रैल, 2020 से पूर्व का नहीं होना चाहिये।
10.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित / भूतपूर्व सैनिक / दिव्यांग / ई0डब्लू0एस0 अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)
11.	रू0 5,000 / – का डी0डी0 (ड्राफ्ट)।

काउंसिलिंग हेतु प्रमुख दिशा–निर्देश

(क) काउंसिलिंग नियत दिन के अंत तक पूर्ण न होने पर अगले दिन भी जारी रह सकती है। अभ्यर्थी को आने जाने, अपने रहने, खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ख) पाठ्यक्रमों की सीटों की संख्या में काउंसिलिंग के समय परिवर्तन हो सकता है।

(ग) अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में उनके ओवरआल रैंक / काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन रैंक के अनुसार बुलाया जायेगा और पाठ्यक्रमों का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए वरीयता क्रम एवं उस समय उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर किया जायेगा।

(घ) कुल सीटों से ज्यादा अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे जिससे अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर प्रवेश पा सके, परन्तु बुलाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाये कि उन्हें अवश्य ही सीट आवंटन कर दिया जायेगा।

(च) यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउंसिलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो वो केवल उसी काउंसिलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह रहेगा। उसी दिन परन्तु विलम्ब से आने पर तत्समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी का स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

आरक्षण :–

उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार सी.पी.पी.एन.ई.टी.–2020 की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली पाठ्यक्रमवार उपलब्ध कुल सीटों पर निम्नवत ''वर्टिकल'' आरक्षण प्रदान किया जायेगा :

1.	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2.	अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3.	अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निम्नवत ''हॉरिजॉटल'' आरक्षण प्रदान किया जायेगाः–

1.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2.	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग / सेवा निवृत्त / शहीद) के पुत्र / पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3.	विकलांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत*
4.	ई0डब्लू0एस0	10 प्रतिशत

* The Rights of Persons with Disabilities Act-2016 के अनुसार

- आरक्षण हेतु शासन के द्वारा जारी नवीनतम दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- आरक्षण प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी जाति प्रमाण–पत्रों को ही वैद्य माना जायेगा।
- अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय मूल (Original) जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण–पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2020 अथवा उसके बाद का जारी हुआ ही वैद्य माना जायेगा।
- आरक्षण से संबंधित नवीनतम प्रारू संलग्न है।

प्रशिक्षण शुल्क :–

प्रशिक्षण शुल्कः – पैरामेडिकल / नर्सिंग / फार्मेसी के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण एवं छात्रावास शुल्क निम्न तालिका के अनुसार देय होगा :–

अनावासीय छात्रों हेतु (Day Scholar)

क्र. सं.	विवरण	डिग्री पाठ्यक्रम (वार्षिक)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार्षिक)
1.	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	रु0 2,000 / –	रु0 2,000 / –
2.	प्रशिक्षण शुल्क	रु0 22,500 / –	रु0 18,000 / –
3.	काशन मनी (रिफन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	रु0 5,000 / –	रु0 5,000 / –
	कुल शुल्क	**रु0 29,500 / –**	**रु0 25,000 / –**

आवासीय छात्रों हेतु (Hosteler)

क्र. सं.	विवरण	डिग्री पाठ्यक्रम (वार्षिक)	डिप्लोमा पाठ्यक्रम (वार्षिक)
1.	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	रु0 2,000 / –	रु0 2,000 / –
2.	प्रशिक्षण शुल्क	रु0 22,500 / –	रु0 18,000 / –
3.	काशन मनी (रिफन्डेबल) (केवल प्रवेश के समय)	रु0 5,000 / –	रु0 5,000 / –
4.	छात्रावास (Double Sharing) व विद्युत उपभोग शुल्क	रु0 4,800 / –	रु0 4,800 / –
	कुल शुल्क	**रु0 34,300 / –**	**रु0 29,800 / –**

- प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त करने हेतु अनुरोध करता है तो शुल्क वापस करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त शुल्क में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट अनुमन्य नहीं है।